निर्णय न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर0ए0एस0, सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
20/2017	5.5.2017	6.3.2020

1. मंगती प्रसाद पुत्र प्यारेलाल
2. विष्णु दयाल पुत्र प्यांरेलाल
3. महेन्द्र पुत्र प्यारेलाल
4. विजेन्द्र पुत्र प्यारेलाल
5. सुशीला देवी पुत्री प्यारेलाल
6. पुष्पा देवी पुत्री प्यारेलाल
7. मंजू देवी पुत्री प्यारेलाल
8. चन्दा बेवा किरोडी
9. गिरधारीलाल पुत्र किरोडी
10. कैलाशचन्द पुत्र किरोडी
11. मनसुखा पुत्र किरोडी
12. अनिल उर्फ बंटी पुत्र किरोडी

जाति महाजन
निवासी काशीपुर
तहसील वजीरपुर
हाल वासी गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

1. लाडो उर्फ लाडबाई पत्नी हेतराम, मीना नि0 उदेईखुर्द तहसील वजीरपुर
2. मन्ता देवी पत्नी रामराज, मीना निवासी उदेईखुर्द तहसील वजीरपुर
3. पुरूषोत्तम पुत्र कल्याण जाति महाजन निवासी काशीपुरा तहसील वजीरपुर हालवासी गंगापुर सिटी
4. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर

—प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी,एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 1, 2 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि ग्राम काशीपुर तहसील वजीरपुर में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 237 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 241 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 249 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 250 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 251 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 254 रकबा 1.05 है0, ख0नं0 262 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 263 रकबा 1.86 है0, ख0नं0 264 रकबा 0.35 है0 कुल रकबा 5.24 है0 व भूमि ख0नं0 241/268 रकबा 0.17 है0 स्थित रही है जिसकी फसल से सभी सहखातेदार मौखिक विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से से लाभान्वित होते आ रहे हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा है। वादीगण के 1/2 हिस्से में वादी सं0 1 लगायत 7 का 1/4 हिस्सा व वादी सं0 8 लगायत 12 का 1/4 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के 1/2 हिस्से में प्रतिवादी सं0 1 का 5/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 का 5/36 हिस्सा व

सहायक कलेक्टर एवं

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी नं0 3 का 1/12 हिस्सा है। मौके पर पक्षकारान ने अपनी भूमि का मौखिक विभाजन कर रखा है जिसके अनुसार अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं। उपरोक्त वर्णित भूमि मौखिक विभाजन अनुसार ही काश्त होती चली आ रही है परन्तु पिछले कुछ समय से प्रतिवादीगण ने भूमि के मौखिक विभाजन को मानने से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 9.3.2017 को कहा कि वे वादीगण को भूमि काश्त नहीं करने देंगे। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 237 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 241 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 249 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 250 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 251 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 254 रकबा 1.05 है0, ख0नं0 262 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 263 रकबा 1.86 है0, ख0नं0 264 रकबा 0.35 है0 कुल रकबा 5.24 है0 व भूमि ख0नं0 241/268 रकबा 0.17 है0 ग्राम काशीपुर का मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार विभाजन कर वादीगण के 1/2 हिस्से का खाता पृथक कर दिया जावे तथा इसी अनुसार समस्त रेवेन्यु रेकार्ड में वादीगण का खाता पृथक दर्ज कर दिया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादीगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें और न किसी अन्य से करावें।

वादपत्र के साथ वादीगण ने नकल जमाबंदी सं0 2071 से 2074, नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किए हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट उपस्थित हुए।

दिनांक 14.11.2019 को वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 1, 2 के वकील वादग्रस्त भूमि की रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन स्कीम तहसीलदार वजीरपुर से मंगवाने पर सहमत हुए एवं इसी अनुसार वादग्रस्त भूमि की विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया ।

वादीगण का यहं वाद दिनांक 14.11.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम प्राप्त हुई। विभाजन स्कीम पर उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम पर सहमत हैं एवं इस विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने हेतु निवेदन किया है। फलस्वरूप पक्षकारों का दावा डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता हैः–

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट

Scanned with CamScanner

1. भूमि ख0नं0 241 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 263 रकबा 1.86 है0, ख0नं0 262 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 264 रकबा 0.35 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.62 है0 स्थित ग्राम काशीपुर मंगती प्रसाद, विष्णु दयाल, महेन्द्र, विजेन्द्र पुत्रगण प्यारेलाल व सुशीला देवी, पुष्पा देवी, मंजू देवी पुत्रियां प्यारेलाल जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी हिस्सा बराबर हिस्सा 1/2 एवं चन्दा पत्नी स्व0 किरोडी, गिरधारीलाल, कैलाशचन्द, मनसुखा, अनिल उर्फ बंटी पुत्रगण किरोडी जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी हिस्सा बराबर हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज रहेगी ।

2. भूमि ख0नं0 237 रकबा 0.62 है0, ख0नं0 249 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 250 रकबा 0.27 है0, ख0नं0 251 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 254 रकबा 1.05 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 2.62 है0 स्थित ग्राम काशीपुरा लाडो उर्फ लाडबाई पत्नी हेतराम मीना निवासी उदेईखुर्द हिस्सा 1.45 है0, मन्ता देवी पत्नी रामराज मीना निवासी उदेईखुर्द हिस्सा 0.73 है0, पुरूषोत्तम पुत्र कल्याण जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी हिस्सा 0.44 है0 की खातेदारी में दर्ज रहेगी ।

3. भूमि ख0नं0 241/268 रकबा 0.17 है0 स्थित ग्राम काशीपुर चन्दा पत्नी स्व0 किरोडी, गिरधारीलाल, कैलाशचन्द, मनसुखा, अनिल उर्फ बंटी पुत्रगण किरोडी जाति महाजन निवासी गंगापुर सिटी हिस्सा बराबर की खातेदारी में दर्ज रहेगी ।

राजस्व रेकार्ड में इसी अनुसार पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की जाकर पृथक पृथक लगान कायम किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 6.3.2020 को सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Scanned with CamScanner